जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी की अध्यक्षता में दिनांक–13.02.2015 को संपन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– यथा पंजी।

दिनांक–13.02.2015 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी की अध्यक्षता में जिला समन्वय की बैठक आहूत की गयी, जिसमें अपर समाहर्त्ता, उप विकास आयुक्त, सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी वरीय उप समाहर्त्ता/सभी प्रखण्ड विकास पदा0/अंचलाधिकारी/सी0डी0पी0ओ0 द्वारा भाग लिया गया।

विभागवार समीक्षा के उपरान्त निम्नांकित निदेश दिये गये :–

(1) राजस्व :–

(i) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कोटवा, सुगौली, आदापुर अंचल से प्रपत्र–1, प्रपत्र–2 एवं प्रपत्र–3(सी0डी0 सहित) में प्रतिवेदन अप्राप्त है। दिनांक–13.02.2015 को संध्या 5.00 बजे वांछित प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से जिला राजस्व प्रशाखा को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के बीच यदि भूमि विवाद का मामला न्यायलय में लंबित हो तो प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(iii) राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार भूमिहीन अनुसूचित जाति/जनजाति को दखल–दहानी दिलानें में जो विवाद है, उसे मार्च 2015 तक अभियान चलाकर समाप्त करने का निदेश दिया गया।

(iv) महादलितों के लिये वास भूमि क्रय करने हेतु मोतिहारी, कल्याणपुर, मेहसी एवं चकिया को राशि उपलब्ध कराया गया है, परन्तु भूमि क्रय से संबंधित प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है। दिनांक–25.02.2015 तक भूमि क्रय करने अथवा राशि वापस करने का निदेश दिया गया।

(v) अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास निर्माण हेतु भूमि चिन्हित है, जिसकी सूची सभी अंचलाधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है। उक्त भूमि की मापी कराते हुए नक्शा के साथ प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(vi) स्टेडियम निर्माण हेतु जमीन चिन्हित करने का निदेश दिया गया था। अभी तक किसी अंचल से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है। यदि भूमि उपलब्ध/नहीं उपलब्ध से संबंधित प्रतिवेदन दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– सभी अंचल अधिकारी, पूर्वी चम्पारण)

(2) आई0सी0डी0एस0 :–

(i) समीक्षा के क्रम में बताया गया कि पिछली बैठक में प्रत्येक सी0डी0पी0ओ0 को प्रतिदिन 05 केन्द्र की जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया था। किसी सी0डी0पी0ओ0 द्वारा पूर्णरूपेण निदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। खेद प्रकट करते हुए नियमित रूप से निर्धारित संख्या में केन्द्रों की जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(ii) सेविका/सहायिका की बहाली की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सी0डी0पी0ओ0, चिरैया द्वारा 56 पद के विरूद्ध अभी तक एक भी बहाली नहीं की गयी है। नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित सी0डी0पी0ओ0 के विरूद्ध अप्रसन्नता संसूचित करने का निदेश दिया गया।

(iii) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मोतिहारी द्वारा बताया गया कि सामान्यतः आम सभा में लिये गये निर्णय के बाद आपत्ति प्राप्त होती है, जिससे विवाद उत्पन्न होता है तथा चयन प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से विलम्ब होता है।

आमसभा में गलत–सही का निर्णयोपरान्त चयन पत्र देने का निदेश दिया गया।

(iv) मेहसी प्रखण्ड में एक आंगनबाड़ी केन्द्र के भ्रमण के क्रम में काफी कुव्यवस्था पाया गया। संबंधित सेविका/महिला पर्यवेक्षक से कारण पृच्छा कर चयन मुक्त करने का निदेश दिया गया।

(v) सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को क्षेत्र भ्रमण कर जन वितरण प्रणाली/शिक्षा/स्वास्थ्य एवं आई0सी0डी0एस0 की समीक्षा करने का निदेश दिया गया।

(vi) अनुमण्डल पदाधिकारी, रक्सौल द्वारा बताया गया कि कुछ आंगनबाड़ी केन्द्र भवन बन चुके है, लेकिन वहाँ केन्द्र संचालित नहीं है।

पूर्ण रूप से निर्मित आंगनबाड़ी भवन को सी0डी0पी0ओ0 द्वारा टेक ओभर करने के बाद ही हस्तांतरित करने का का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– जिला प्रोग्राम पदा0/सभी अनुमण्डल पदा0/सभी सी0डी0पी0ओ0, पूर्वी चम्पारण)

(3) <u>जिला पंचायत</u> :–

(i) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि संग्रामपुर प्रखण्ड से मतदान केन्द्र का सत्यापन प्रतिवेदन तथा मधुबन, पताही, संग्रामपुर, रामगढ़वा, छौड़ादानो, तुरकौलिया प्रखण्ड से सहायक निर्वाची पदाधिकारी की सूची अभी तक अप्राप्त है। दो दिनों के अन्दर वांछित प्रतिवेदन जिला पंचायत कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(ii) बताया गया कि प्रपत्र–13 में प्रतिवेदन मोतिहारी, तुरकौलिया, पीपराकोठी से अप्राप्त है तथा प्रपत्र–9 में प्रतिवेदन मात्र पीपराकोठी, पहाड़पुर, कल्याणपुर एवं घोड़ासहन से प्राप्त है। शेष प्रखण्डों को दो दिनों के अन्दर वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(iii) सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को वज्रगृह का प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया कि ताकि चुनाव आयोग से अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।

(अनुपालन :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण)

(4) <u>प्रखण्ड/पंचायत के अभिलेख की जाँच</u> :–

(i) समीक्षा के क्रम में बताया गया कि प्रखण्ड/पंचायत के अभिलेख की जाँच हेतु प्रखण्डवार रोस्टर तैयार कर सभी प्रखण्डों को उपलब्ध करा दिया गया है। निर्धारित रोस्टर के अनुसार संबंधित मुखिया/पंचायत सचिव/सहायक की योजना पंजी, रोकड़ बही के साथ प्रखण्ड मुख्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण)

(5) <u>इंदिरा आवास योजना</u> :–

(i) समीक्षा के क्रम में अर्द्धनिर्मित आवास का सर्वे कर अपूर्ण आवास से संबंधित प्रतिवेदन (फोटोग्राफ सहित) दिनांक–20.02.2015 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(ii) अपूर्ण इंदिरा आवास का आकलन करने के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मेहसी द्वारा बताया गया कि वर्ष–2010 के पूर्व का इंदिरा आवास से संबंधित अभिलेख प्रखण्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। लाभार्थी से पासबुक मंगवाकर बैंक से सूचना प्राप्त करते हुए अभिलेख तैयार करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण)

(6) <u>जिला जन शिकायत</u> :–

(i) जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड/अंचल स्तरीय जनता दरबार एवं अन्य प्रकार की जन शिकायत की समीक्षा के क्रम में एक सप्ताह के अन्दर सभी लंबित शिकायत पत्रों को शून्य करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– सभी अनुमण्डल पदा0/प्र0वि0पदा0/अंचलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण)

(7) <u>आपूर्ति</u> :–

(i) समीक्षा के क्रम में बताया गया कि कम वजन की शिकायत अभी भी कुछ जगहों से प्राप्त हो रही है। जब डीलर के यहाँ खाद्यान्न/किरासन तेल अनलोड होता है, उस समय वजन की जाँच करें। अक्सर डीलर की शिकायत होती है कि होलसेलर 20 लीटर काटकर किरासन तेल देते है। डोर–टू–डोर वितरण पर नजर रखने एवं लॉज का भौतिक सत्यापन करने का निदेश दिया गया।

(ii) बताया गया कि 31 मार्च 2015 तक यदि होलसेलर्स किरासन तेल की टंकी नहीं बनवाते है तो आवंटन प्राप्त नहीं होगा। 31 मार्च 2015 से नोजल द्वारा किरासन तेल डीलर को उपलब्ध कराया जाना है। सभी होलसेलर्स को किरासन तेल की टंकी अधिष्ठापित करने का निदेश दिया गया।

(iii) मार्च का ड्राफ्ट लगाने एवं जनवरी/फरवरी का उठाव एक साथ कर वितरण कराने का निदेश दिया गया।

(iv) प्रत्येक महीने प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने एवं नवम्बर माह का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

(v) जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रत्येक दिन क्षेत्र भ्रमण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– जिला आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण)

(8) <u>आर0टी0पी0एस0</u> :–

(i) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आर0टी0पी0एस0 में इस जिले का रैंकिंग 38वाँ है। इस जिले में अपील की संख्या काफी कम है तथा अपील के लिये प्रतिवेदन में 20 अंक निर्धारित है। एक दिन भी विलम्ब के लिये सो–मोटो करना अनिवार्य है। इस जिले में कुल 26 आवेदन लंबित है। आर0टी0पी0एस0 के लिये एक कर्मी को चिन्हित करने एवं प्रत्येक सप्ताह कम से कम 100 अपील फाईल करने का निदेश दिया गया।

(ii) पाया गया कि पेंशन संबंधित मामले सबसे ज्यादा चकिया में 277, पकड़ीदयाल में 259 एवं रक्सौल में 370 लंबित है। प्र0वि0पदा0/अंचल अधिकारी को अस्वीकृति का कारण स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए हस्ताक्षर अंकित कर आवेदक को प्राप्त कराने का निदेश दिया गया।

(iii) पिछली बैठक में सभी मेन्टर्स को अस्वीकृति के संबंध में प्रतिवेदन तैयार कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। किसी भी मेन्टर्स से उक्त प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण खेद प्रकट किया गया तथा पुनः वांछित प्रतिवेदन तैयार कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(iv) प्रत्येक आर0टी0पी0एस0 काउन्टर पर निरीक्षण पंजी संधारित करने का निदेश दिया गया ताकि जो पदाधिकारी आर0टी0पी0एस0 काउन्टर की जाँच करेंगे वे अपना हस्ताक्षर उक्त पंजी में अंकित करेंगे।

(अनुपालन :– सभी अनु0पदा0/भू0सु0उप0समा0/प्र0वि0पदा0/अंचलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण)

(9) <u>अन्यान्य</u> :–

(i) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़वा को सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना के तहत 4400 वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(ii) डेयरी परियोजना में पशु को टैग कर दिया गया है। सभी मेन्टर्स को क्रय किये गये पशु का भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। किसी मेन्टर्स द्वारा वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने के कारण खेद प्रकट करते हुए एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(iii) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर जितनी भी योजना संचालित है, उसके वैट का नियमानुसार कटौती कर राशि को वाणिज्य कर विभाग, मोतिहारी में दिनांक–25.02.2015 तक अनिवार्य रूप से जमा करें। दिनांक–25.02.2015 के बाद बकाया राशि का दोगुना राशि संबंधित पदाधिकारी से वसूल किया जाएगा।

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाने हेतु पी0एच0ई0डी0 के तरफ से 10,000.00 रू0 एवं पानी का टंकी के निर्माण हेतु 2,000.00 रू0 अतिरिक्त देने का प्रावधान है। इसके लिये प्रखण्ड स्तर पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। यह योजना 02 अक्टूबर 2014 के बाद से प्रभावी है। वार्ड सदस्य/प्रखण्ड समन्वयक से आवेदन को सत्यापित कराकर प्रखण्ड स्तरीय पी0एच0ई0डी0 कार्यालय में जमा कराया जाना है। इसमें ए0पी0एल0/बी0पी0एल0 का कोई बंधेज नहीं है। राशि का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया जाना है।

(v) बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई। ह0–

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक–225 /दिनांक–24-02-2015

प्रतिलिपि :– सभी प्र0वि0पदा0/अंचलाधिकारी/सी0डी0पी0ओ0, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– श्री सतीश कुमार, आई0टी मैनेजर, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त कार्यवाही जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता/उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।